International Journal of Education, Modern Management, Applied Science & Social Science (IJEMMASSS)
ISSN : 2581-9925, Impact Factor: 6.882, Volume 04, No. 04(II), October - December, 2022, pp. 304-308

इक्कीसवीं सदीः उच्च शिक्षा के बदलते आयाम

डॉ. राजेश कुमार पाण्डेय*

सार

सदी का परिवर्तन कोई सहज घटना न होकर अपितु हमारे चिंतन को उद्वेलित करने वाली घटना होती है। जिसके अन्तर्गत नवीन चुनौतियों का प्राकट्य होता है। तथा उन चुनौतियों का मुकाबला करने की सामर्थ्य हम जुटाने का प्रयास करते हैं। वस्तुतः औद्योगिक विकास से लेकर शैक्षणिक एवं वैज्ञानिक विकास तक का लम्बा सफर तय करने में सैद्धान्तिक रूप से उच्च शिक्षा का महत्वपूर्ण योगदान रहा है। उच्च शिक्षा के वहन का गुरूतर दायित्व हमारे विश्वविद्यालय एवं महाविद्यालयों के कंधो पर है। भारत जैसे विकासशील राष्ट्रों का बढ़ता दिशाहीन बेराजगार नवयुवकों/युवतियों का सैलाब समूची अर्थव्यवस्था व प्रशासनिक तंत्र के लिए ग्रहण के समान है। विश्वविद्यालयों से ऊंची-ऊंची डिग्रियां लेकर युवक नौकरी की तलाश में दर-दर भटक रहे हैं। सर्वाधिक दुर्भाग्यपूर्ण तो यह है कि हमारी उच्च शिक्षा पद्धति लक्ष्यहीन है।

शब्दकोशः *औद्योगिक विकास, शैक्षणिक एवं वैज्ञानिक विकास, अर्थव्यवस्था, उच्च शिक्षा पद्धति।*

प्रस्तावना

इक्कीसवीं सदी मात्र काल गणना क्रम का सूचक नहीं है। वस्तुतः जब हम 21वीं सदी शब्द का उच्चारण करते हैं तब ऐसा प्रतीत होता है कि जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में नव स्फुरण तथा आमूल चूल परिवर्तन की आवश्यकता है। सदी का परिवर्तन कोई सहज घटना न होकर अपितु हमारे चिंतन को उद्वेलित करने वाली घटना होती है। जिसके अन्तर्गत नवीन चुनौतियों का प्राकट्य होता है। तथा उन चुनौतियों का मुकाबला करने की सामर्थ्य हम जुटाने का प्रयास करते हैं। काल परिवर्तन के इस क्रम में हम प्राचीन, असामयिक, अनुपयोगी, मान्यताओं एवं कार्यक्रमों में परिवर्तन की महती आवश्यकता महसूस करते हैं।

वस्तुतः औद्योगिक विकास से लेकर शैक्षणिक एवं वैज्ञानिक विकास तक का लम्बा सफर तय करने में सैद्धान्तिक रूप से उच्च शिक्षा का महत्वपूर्ण योगदान रहा है। उच्च शिक्षा के वहन का गुरूतर दायित्व हमारे विश्वविद्यालय एवं महाविद्यालयों के कंधो पर है। ब्रिटिश उप निवेशवाद का प्रभाव हमारे सामान्य स्थितियों में ब्रिटिश उपनिवेशी हितों को संरक्षित करने के लिये विश्वविद्यालयों की स्थापना की गई थी, वर्तमान में उद्देश्यों की भिन्नता होने पर भी हमारे विश्वविद्यालय आज उसी पद्धति से संचालित है। उच्च शैक्षणिक संस्थायें सामाजिक परिवर्तन के महत्वपूर्ण औजार हैं। इनमें परिवर्तन हो भी रहे हैं। किन्तु गति अत्यन्त धीमी है।

विश्व मानदण्डों के अनुरूप समसामयिक परिवर्तन की तीव्रता के अभाव में हम विश्व समुदाय से पिछड़ सकते हैं। अतः परिवर्तन की दिशा सृजनात्मक एवं तीव्र होने की आवश्यकता है। यदि विश्वविद्यालय समाज की आवश्यकता के अनुरूप परिवर्तित तथा परिमार्जित नहीं होंगे, तब वे अपनी अस्मिता को सदियों तक बचाने में सक्षम नहीं होंगे।

---

* प्रोफेसर वाणिज्य, हेमवती नंदन बहुगुणा राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, नैनीप्रयागराज, उत्तर प्रदेश।

भारत जैसे विकासशील राष्ट्रों का बढ़ता दिशाहीन बेराजगार नवयुवकों/युवतियों का सैलाब समूची अर्थव्यवस्था व प्रशासनिक तंत्र के लिए ग्रहण के समान है। विश्वविद्यालयों से ऊंची–ऊंची डिग्रियां लेकर युवक नौकरी की तलाश में दर–दर भटक रहे हैं। सर्वाधिक दुर्भाग्यपूर्ण तो यह है कि हमारी उच्च शिक्षा पद्धति लक्ष्यहीन है। प्रायः अधिकांश शिक्षार्थी स्कूल शिक्षा के उपरांत उच्च शिक्षा में प्रवेश मात्र डिग्री प्राप्त करने तथा बेरोजगारी की पंक्ति से कुछ समय के लिये अवमुक्ति हेतु लेते हैं। तथा चतुर्थ समूह से लेकर प्रथम समूह तक की सेवाओं के लिए आवेदन करते हैं। जिन सेवाओं के लिये शैक्षणिक योग्यता स्कूल निर्धारित है उन सेवाओं में भी उच्च शिक्षा प्राप्त युवक/युवतियां आवेदन करते हैं। एक अध्ययन के अनुसार हमारे देश में उपलब्ध नौकरियों में से लगभग 88ः नौकरियों के लिये न्यूनतम योग्यता हाई स्कूल/इण्टरमीडिएट निर्धारित है इन सेवाओं के लिये पात्रता शर्तों में न्यूनतम योग्यता के साथ–साथ अधिकतम योग्यता का प्रतिबंध भी होना चाहिए जैसा कि सर्वमान्य तथ्य है कि गुणवत्ता एवं मात्रा में परस्पर विरोधी सम्बन्ध होते हैं। अतः उच्च शिक्षा के क्षेत्र में आज आवश्यकता इस बात की है कि इनमें प्रवेश सीमित दशा में ऐसे छात्रों को मिले जो वस्तुतः उच्च शिक्षा के क्षेत्र में अभिरुचि रखते हों तथा शोधपरक एवं वैज्ञानिक दृष्टिकोण को मान्यता देते हों। वर्तमान में उच्च शिक्षा का उद्देश्य आत्म निर्भरता होना चाहिए न कि पराश्रितता। उच्च शिक्षा किसी भी राष्ट्र की बुनियाद है, इसमें अपरिमित सम्भावनायें एवं जनापेक्षायें हैं। अतः विश्वविद्यालय एवं महाविद्यालयों को वर्तमान सदी की चुनौतियों का सामना करने के लिये स्वयं में विश्वसनीयता का सृजन करना होगा। व्यावसायिक प्रतिष्ठानों की भांति इनकी कार्यप्रणाली सरल, सहज, प्रभावी एवं अर्थपूर्ण बनानी होगी।

विश्वविद्यालयों एवं महाविद्यालयों को शासकीय नियंत्रण के स्थान पर पूर्ण स्वायत्तता प्रदान करके विषय निर्धारण पाठ्यक्रम चयन एवं आर्थिक संसाधनों की व्यवस्था से लेकर आधारभूत संरचना निर्मित एवं विकसित करने का कार्य इन्हीं संस्थाओं पर छोड़ देना चाहिए। शासकीय धन पर पोषित शिक्षण संस्थायें कब तक शासकीय अनुदान रूपी वैशाखियों के सहारे चलेंगी। जब वर्तमान शिक्षा का उद्देश्य ज्ञान प्राप्ति के स्थान पर धनोपार्जन है तब व्यावसायिक संस्थाओं की भांति हम पूंजी विनिवेश करके विद्यार्जन क्यों न करें। सेवा क्षेत्र में अर्थोपार्जन की अपरिमित सम्भावनाओं को दृष्टिगत रखते हुए विश्वविद्यालयों को विनिवेश की जाने वाली संस्थाओं के रूप में अपनी पहचान बनानी होगी, जिससे शिक्षा ग्रहण करने वाले छात्र/छात्रा विनियोजक होंगे तथा शैक्षणिक संस्थाओं को अपने लाभ/हानि का लेखा–जोखा रखना होगा। पश्चिमी देशों के अनेक विश्वविद्यालय आज उक्त पद्धति से संचालित होकर अपनी गुणवत्ता की धाक समूचे विश्व में जमाये हुये हैं।

हमारे देश के उच्च शिक्षा पर सरकार द्वारा किये जाने वाले व्यय एवं शैक्षणिक संस्थाओं से प्राप्त आगम में किसी प्रकार का साम्य नहीं हैं। प्रजातांत्रिक सरकारों के वैचारिक भिन्नताओं का कुप्रभाव शिक्षा का राजनैतिककरण एवं अपराधीकरण के रूप में आज हमारे सामने हैं। अतः सरकार द्वारा सुनिश्चित मानकों के अनुरूप प्रत्येक व्यक्ति जिसके पास पूंजी है, शिक्षण संस्थाओं की स्थापना करके व्यावसायिक उपक्रमों की भांति लाभार्जन कर सके, उस दशा में उच्च शिक्षा क्षेत्र क्रेता एवं विक्रेता के स्वरूप में प्रभावपूर्ण विपणि होगी संस्थाओं की गुणवत्ता पारदर्शी होगी, प्रतिस्पर्धापूर्ण होगी तथा छात्रों के लिये सर्वोत्तम चयन के अवसर उपलब्ध होगें। शैक्षणिक संस्थाओं में शिक्षा के मानक निर्धारित होगें तथा उन्हें पूर्ण करना इनका परम दायित्व होगा, जिससे उच्च शिक्षा में गुणवत्ता के लक्षण दृष्टिगत होंगे। शुल्क ढांचा उपाधि की उपादेयता एवं उसके बाजार मूल्य के अनुसार सुनिश्चित होंगे। शैक्षणिक तकनीक एवं आधारभूत शोध का उद्देश्य अधिकाधिक मात्रा में औद्योगिक विकास होगा, तथा आय एवं उत्पादकता में अभिवृद्धि सुनिश्चित होगी। इक्कीसवीं सदी के चुनौतीपूर्ण परिवेश में उच्च शिक्षा के क्षेत्र में कतिपय आधारभूत परिवर्तन हुए हैं। चूंकि पारम्परिक ढांचा हमारी उच्च शिक्षा को आगे बढ़ाने में सक्षम नहीं हैं। शैक्षणिक संस्थाओं में फैली विध्वसंक छात्र राजनीति, भ्रष्टाचार, भाई–भतीजावाद एवं अन्य कुत्सित विसंगतियों ने आज हमारे चिन्तन को झंकृत किया है, रोजगार परक एवं सृजनात्मक शिक्षा इक्कीसवीं सदी की महती आवश्यकता है। इसके लिये उच्च शिक्षा के क्षेत्र में हमें भीड़तंत्र को समाप्त करके विशिष्ट तंत्र की स्थापना करनी होगी।

जहां तक प्रश्न भारतीय जनमानस का है उसमें अब तक उदासीनता के लक्षण विद्यमान हैं। प्राथमिक कक्षाओं में हम 500 रु. से 5000 रु. तक प्रतिमाह व्यय करने को तैयार हैं। किन्तु उच्च शिक्षा के लिये सन् 1950 की स्थिति कायम रखना चाहते हैं। वर्तमान परिप्रेक्ष्य में बढ़ती प्रतिस्पर्धा एवं विश्व समुदाय के ग्राम्य स्वरूप को दृष्टिगत रखते हुए हमें उच्च शिक्षा के क्षेत्र में मिल रही चुनौतियों को स्वीकार करना होगा तथा अत्याधुनिक सामाजिक आवश्यकताओं के अनुरूप संस्थागत ढांचे में आमूल चूल परिवर्तन करना होगा, तभी हमें इक्कीसवीं सदी की शैक्षणिक चुनौतियां का सामना करने में सक्षम होगें।

स्वतंत्रता के उपरान्त शिक्षा के क्षेत्र में विकास

स्वतंत्रता के उपरान्त शिक्षा के क्षेत्र में भारत वर्ष में अत्यधिक प्रगति हुई है देश को व्यापक निरक्षरता से मुक्ति दिलाकर हमने अपनी शिक्षा प्रणाली को विश्व मानकों के अनुसार ढ़ालने का प्रयास किया है। 2001 में जहाँ साक्षरता 64.8% थी वहीं 2011 में यह लगभग 73% के स्तर पर पहुँच गई। जबकि स्वतंत्रता के उपरान्त 1951 में यह दर मात्र 18.33% थी। आज हमारे देश की उच्च शिक्षा प्रणाली विश्व के वृहत्तम शिक्षा प्रणालियों में से एक है, स्वतंत्रता से पूर्व उच्च शिक्षा जहाँ सम्भ्रान्त वर्ग का विशेषाधिकार मानी जाती थी वह आज सर्वजन सुलभ है। इस दिशा में सर्व प्रथम प्रयास 1948 में विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग का गठन कर के किया गया। इसके प्रथम अध्यक्ष डॉ0 सर्व पल्ली राधाकृष्णन थे, तत्पश्चात 1952–53 में मुदलियार आयोग का गठन माध्यमिक शिक्षा के समुचित विकास हेतु किया गया। सुप्रसिद्ध शिक्षाविद डॉ0 जी.एस. कोठारी की अध्यक्षता में 1964–66 में गठित कोठारी आयोग (भारतीय शिक्षा आयोग) की सिफारिशों के अनुसार राष्ट्रीय शिक्षा नीति तैयार की गई इसके अन्तर्गत गरीबों के लिए आर्थिक सहायता, प्रौढ़ शिक्षा एवं स्त्री पुरूष की समानता को बढ़ावा देने हेतु समुची शिक्षा प्रणाली को पुर्नगठित करने हेतु प्रयास किये गये। इसी के परिणाम स्वरूप शिक्षा के क्षेत्र में मात्रात्मक एवं गुणात्मक दोनो दृष्टि से विकास हुआ है। स्वतंत्रता के समय 1947 में देश में केवल 19 विश्वविद्यालय 400 कॉलेज एवं 5000 माध्यमिक स्कूल थे जबकि वर्तमान समय में देश में लगभग 15 लाख स्कूल हैं। इसी प्रकार विश्वविद्यालयों की संख्या 903 एवं 39050 कॉलेज हैं। लगभग 26 करोड़ बच्चे विभिन्न कक्षाओं एवं पाठ्यक्रमों में प्रवेशित हैं जिनमें लगभग 3०66 करोड़ उच्च शिक्षा के विभिन्न पाठ्यक्रमों में प्रवेशित हैं। 1951 में देश में प्राथमिक विद्यालयों की संख्या लगभग 13600 थी जो 1981 में बढ़ कर 118600 हो गई तथा 2021 में यह संख्या 437600 हो गई। स्वतंत्रता के उपरान्त शिक्षा के क्षेत्र में सरकार द्वारा किये जाने वाले व्ययों में अभूत पूर्व वृद्धि हुई है। सन 1951–52 में जहाँ शिक्षा पर व्यय 64.46 करोड़ था जो सकल घरेलू उत्पाद (GDP) का मात्र 0.64% था वही वर्ष 2013–14 में यह व्यय कुल 465000 करोड़ रूपया हो गया जो सकल घरेलू उत्पाद का 4.13% था। सन 1951–52 में लगभग 3.6 लाख विद्यार्थियों ने उच्च शिक्षा में प्रवेश लिया था। 1991–92 में यह संख्या 40 लाख के आस–पास हो गई। आने वाले वर्षो में भारत शिक्षा के क्षेत्र में नवीन कीर्तिमान स्थापित करने में सक्षम होगा। सन 2025 तक यह देश दुनिया की सर्वाधिक उच्च शिक्षित देशों में दूसरे नम्बर होगा।

हमारे देश में उच्च शिक्षा के क्षेत्र में व्यापक बदलाव हुए हैं। उच्च शिक्षा प्राप्त करने वालों की संख्या में अनवरत् वृद्धि हो रही है किन्तु उच्च शिक्षा संस्थाओं विशेषरूप से इंजीनियरिंग व प्रबन्धन कालेजों की संख्या में कमी आयी है। विश्वविद्यालयों की संख्या में वृद्धि होने के बावजूद भी राज्यों में उच्च शिक्षा के क्षेत्र में ढाँचागत सुविधाओं में अत्यधिक कमी है। कर्नाटक में जहां एक लाख छात्र/छात्राओं के अध्ययन हेतु 51 कालेज हैं वहीं बिहार में यह संख्या मात्र 7 है।

उच्च शिक्षा में महिला शिक्षकों की भागीदारी बिहार में सबसे कम है देश में उच्च शिक्षा हेतु अध्ययनरत कुल शिक्षकों की संख्या 1284755 है इनमें से 58 प्रतिशत पुरूष एवं 42 प्रतिशत महिला शिक्षक है जबकि बिहार में 79.1 प्रतिशत पुरूष शिक्षक एवं 20.1 प्रतिशत महिला शिक्षिकाएं है । उ0प्र0 में 32.8 प्रतिशत महिला शिक्षक है जबकि झारखण्ड में महिला शिक्षिकाओं की संख्या 29.9 प्रतिशत है। शिक्षा में गुणवत्ता का आंकलन शिक्षक–छात्र अनुपात से किया जाता है। शिक्षक–छात्र अनुपात के मामले में उ0प्र0, बिहार एवं झारखण्ड की स्थिति ठीक नहीं है। यह अनुपात उ0प्र0 में 1:60, बिहार में 1:67, दिल्ली में1:61, झारखण्ड में 1:59, बंगाल में 1:37, जम्मू कश्मीर

में 1:37, त्रिपुरा में 1:37, मध्य प्रदेश में 1:35, असम में 1:34, अरूणांचल प्रदेश में 1:43 है। कर्नाटक में 1:16 एवं आन्ध्रप्रदेश में 1:18 है राष्ट्रीय औसत सभी श्रेणियों के 1:29 है।

विगत कुछ वर्षो से उच्च शिक्षा के क्षेत्र में निजी क्षेत्र की भागीदारी में अभूतपूर्व वृद्धि हुई है, वर्तमान में लगभग 78 प्रतिशत कालेज निजी क्षेत्रों में संचालित है। समूची छात्र संख्या का 67.3 प्रतिशत छात्र इन कालेजों में पढ़ते है। बाकी 32.7 प्रतिशत छात्र सरकारी कालेजों में पढ़ते है देश के 903 विश्वविद्यालयों में 343 विश्वविद्यालय निजी क्षेत्रों में संचालित हैं । ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों में स्थापित कालेजों की बात करें तो लगभग 60.48 प्रतिशत कालेज ग्रामीण क्षेत्रों में स्थापित है जिनमें से 11.4 प्रतिशत कालेज महिलाओं के लिए है इसी प्रकार 337 विश्वविद्यालय भी ग्रामीण क्षेत्रों में स्थापित है। देश में 18.3 प्रतिशत कालेज ऐसे है जहां पंजीकृत छात्रों की संख्या 100 से भी कम है जबकि 3.6 प्रतिशत कालेज ऐसे है जहां तीन हजार से अधिक छात्र पंजीकृत है। ग्रामीण एवं कस्बों में खुले सरकारी कालेजों में छात्रों की संख्या अपेक्षाकृत अधिक है। कई राज्यों में 88 प्रतिशत कालेज निजी क्षेत्र द्वारा संचालित है छोटे राज्यों एवं पिछड़े राज्यों जहां निजी निवेश नहीं हो रहा है वहीं सरकारी कालेजों की संख्या अधिक है।

उ0प्र0 में कालेजों की संख्या सर्वाधिक है यहां निजी क्षेत्रों की भागीदारी लगभग 87 प्रतिशत है। निजी क्षेत्र के कालेजों की शिक्षा मंहगी है एवं उनमें गुणवत्ता का भी अभाव है कतिपय कालेज मात्र प्रवेश, एवं परीक्षा तक सीमित रह गये है। स्व वित्त पोषित योजना के अन्तर्गत खुले कालेजों में नियमित कक्षाओं के संचालन का अभाव है वे पंजीकृत छात्रों से मोटी रकम शुल्क के रूप में लेकर नकल इत्यादि की सुविधा देकर छात्रों के स्नातक, परास्नातक की उपाधि प्रदान करने में सहयोग प्रदान कर रहे हैं। उ0प्र0 में कालेजों की संख्या 6629 है जिनमें 5810 (लगभग 87 प्रतिशत) कालेज निजी क्षेत्र में है 650 निजी क्षेत्र के कालेज शासकीय सहायता प्राप्त है। राज्य में सरकारी कालेज की कुल संख्या 150 है आन्ध्र प्रदेश में लगभग 88 प्रतिशत कालेज निजी क्षेत्र में है इस राज्य में 2572 कालेजो में से मात्र 302 कालेज शासकीय है शेष 2270 निजी कालेज में मात्र 65 शासकीय सहायता प्राप्त है। स्कूली शिक्षा में स्थिति इसके विपरीत है स्कूली शिक्षा में सरकारी स्कूलों की संख्या अधिक है किन्तु शासकीय विद्यालयों में शिक्षण की गुणवत्ता में कमी के कारण बच्चे निजी स्कूलों में जा रहे है। दूसरी ओर उच्च शिक्षा हेतु शासकीय संस्थानों की संख्या कम है अधिकांश छात्र शासकीय संस्थानों में प्रवेश लेना चाहते है किन्तु उपलब्धता के अभाव में बच्चे निजी संस्थानों में प्रवेश लेने हेतु बाध्य है जहां उन्हें फीस के रूप में मोटी रकम देने के बाद भी गुणवत्तापूर्ण शिक्षा नहीं प्राप्त हो पाती। स्कूली शिक्षा में निजी क्षेत्र की भागीदारी लगभग 30 प्रतिशत है लेकिन पिछले साल जारी एक रिपोर्ट के अनुसार उ0प्र0 के ग्रामीण क्षेत्रों के लगभग 52 प्रतिशत बच्चे निजी स्कूलों में शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं। उनके अभिभावकों को यह विश्वास है कि निजी स्कूलों में अत्यधिक शुल्क लेने पर गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान की जा रही है जबकि स्थिति इसके विपरीत है निजी स्कूल प्रबन्धकों द्वारा विद्यालयों का प्रबन्धन व्यावसायिक परिप्रेक्ष्य में किया जा रहा है उनके द्वारा अत्यल्प वेतन देकर अयोग्य शिक्षकों को अध्यापन कार्य हेतु रखा गया है। अधिकांश निजी स्कूलों में केवल वाह्य दिखावे के कारण छात्र संख्या में अभिवृद्धि हो रही है उनके द्वारा गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की व्यवस्था नहीं की जा सकी है। इसके विपरीत शासकीय विद्यालयों में आधारभूत संरचना यथा, भवन, फर्नीचर इत्यादि की कमी के साथ–साथ शिक्षकों की भारी कमी है जिससे इन विद्यालयों में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान किया जाना सम्भव नहीं हो पा रहा है।

उच्च शिक्षा के क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण तथ्य यह है कि भारतवर्ष के 20 राज्यों में महिला ग्रेजुएट की संख्या या तो पुरूषों के बराबर है या अधिक है। यह हमारे लिए गर्व की बात है जहां पुरूष प्रधान समाज में नारी को घर की दहलीज में कैद करके रखा जाता था प्रायः उन्हें शिक्षा ग्रहण करने के अधिकार से वंचित रखकर घर गृहस्थी, बाल–बच्चे को पालने, पोसने की जिम्मेदारी सौंपी जाती थी। वहीं उच्च शिक्षा में महिलाओं की बढ़ती भागीदारी राष्ट्र के उज्जवल भविष्य का संकेत देती है।

उच्च शिक्षा हेतु प्रवेशार्थियों की संख्या में चण्डीगढ़ प्रथम स्थान पर है यहां पुरूषों की प्रवेश दर 48.6 प्रतिशत एवं महिलाओं की प्रवेश दर 67.7 प्रतिशत है जबकि दूसरे पायदान पर स्थित दिल्ली में यह प्रतिशत क्रमशः 44.9 एवं 48.0 है। उ0प्र0 में उच्च शिक्षा की स्थिति अधिक संतोषजनक नहीं कही जा सकती। यहां पुरूष

प्रवेश दर 25.2 प्रतिशत एवं महिला प्रवेश दर 26.7 प्रतिशत है। केन्द्र शासित राज्य लक्षद्वीप में पुरूष की उच्च शिक्षा में प्रवेश दर 3.2 प्रतिशत जबकि महिला दर 12 प्रतिशत है। यहां उच्च शिक्षा के क्षेत्र में महिलाएं पुरूषों से बहुत आगे हैं। पुरूषों की अपेक्षा महिलाओं की उच्च शिक्षा के क्षेत्र में बढ़ती हुई भागीदारी से यह सिद्ध होता है कि उच्च शिक्षा ग्रहण करने के प्रति महिलाएं पुरूषों की अपेक्षा अधिक जागरूक है दूसरी ओर बढते औद्योगीकरण के कारण स्कूल शिक्षा ग्रहण करने के उपरान्त पुरूष रोजी रोजगार में लग जाते है औद्योगिक विकास के साथ पारम्परिक शिक्षा के स्थान पर तकनीकी शिक्षा व्यावसायिक शिक्षा एवं पेशेवर शिक्षा को वरीयता दी जाती है परिणामस्वरूप लोग रोजगार परक शिक्षा को वरीयता देते हैं।

आजादी के उपरान्त हमने शिक्षा के क्षेत्र में परिमाणात्मक (Quantitative) रूप में अभूतपूर्व विकास किया है किन्तु गुणात्मक (Qualitative) एवं रोजगारपरक शिक्षा हेतु अभि बहुत कुछ करना बाकि है। आजादी के बाद के 70 वर्षों में शिक्षा के क्षेत्र विशेष कर उच्च शिक्षा के क्षेत्र का सुदृढ़ होना हमारे लिये गौरव की बात है। आज हम अतीत की अशिक्षा रूपी अन्धकार की बेड़ियों को काटकर 21वीं सदी की स्वतंत्र सर्वसुलभ एवं आधुनिक शिक्षा व्यवस्था की ओर अग्रसर हैं। यदि हम शत प्रतिशत शिक्षित समाज के लक्ष्य को प्राप्त करने में सक्षम हुये तो हमारा आलोक देदीप्यमान नक्षत्र की भांति सम्पूर्ण विश्व को आलोकित करेगा और हम पुनः अपने अतीत की भांति विश्व गुरू की भूमिका में होंगे।

References

1. Policy commission report 2019 -20
2. National education policy draft 2020
3. Higher education in India- A Bibliography Vijay Govind
4. The school review –Norman Burns & Manning M Pattillo

❖◆❖